न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना (मेरठ)

उपस्थित : **शिवेन्द्र शर्मा** उ0 प्र0 न्यायिक सेवा
I.D.No- UP3792

आपराधिक वाद संख्या : – 292 सन् 2018 ई0
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण :– श्री आदेश कुमार शर्मा ।
सरकार **बनाम** सचिन आदि

मु0अ0सं0 64/2018
धारा– 147, 323, 504, 506, भा0दं0सं0
थाना – मवाना,
जनपद –मेरठ ।

निर्णय

पुलिस थाना मवाना द्वारा मु.अ.स. 64/2018, अभियुक्तगण सचिन, मन्तरपाल, राजेन्द्र,सूरज, संजय उर्फ कल्लू, पप्पू व ज्ञान सिहं के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506, भा0दं0सं0 प्रस्तुत करने पर विचारण किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शीशपाल द्वारा इस आशय की तहरीर थाना मवाना पर दर्ज करायी कि दि. 24.01.2018 को समय करीब 1.30 बजे राशन डीलर का चुनाव जूनियर हाईस्कूल मे चल रहा था जिसमे राशन डीलर हेतु जगन व कंवरपाल के बीच चुनाव चल रहा था। दोनो पक्षों की ओर से जूनियर हाईस्कूल मे काफी व्यक्ति मौजूद थे जिसमे वादी का लडका पवन, कंवरपाल पक्ष की ओर से वहीं पर मौजूद था। जगन पक्ष की ओर से सचिन, मंतर, राजेन्द्र, सूरज , संजय उर्फ कल्लू, पप्पू, आदि झगडालू किस्म के व्यक्ति मौजूद थे। जिनमे ज्ञानसिहं ने जगन पक्ष को हरता हुए देख उपरोक्त व्यक्तियो ने ज्ञानसिहं के कहने पर एक राय होकर वादी के लडके पवन को सचिन ने गाली गलौज कर दिया और कहा कि साले चुनाव मे बाधा डाल रहा है।वादी के लडके को पीटता देख उक्त लोगो ने भी मारपीट शुरू कर दी। उन व्यक्तियो का उददेश्य चुनाव को स्थगित कराना था। जिस वजह से कंवरपाल पक्ष न जीत सके। यह लोगा वादी के लडके को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाकर विवेचना की गयी। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त थाना हाजा द्वारा उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147, 323, 504, 506, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया

आरोप–पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा मामले का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये एवं अपनी जमानते करायी एवं अभियुक्त सचिन, मन्तरपाल, राजेन्द्र,सूरज, संजय उर्फ कल्लू, पप्पू व ज्ञान सिहं के विरूध भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 147,323, 504, 506, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दि. 22.09.2018 को आरोप

विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने घटना से इन्कार किया और विचारण की मांग की। तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा शीशपाल, पी.डब्लू.2 पवन, पी.डब्लू.3 जगन को परीक्षित किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन अभिलेखो की औपचारिक सत्यता धारा 294 द.प्र.स. के अंतर्गत स्वीकार की गई।

अभियोजन की ओर से अन्य साक्षियो के उन्मोचिन का प्रार्थनापत्र दिया गया ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की प्रमाणिकता स्वीकार की गई, जिस पर अभियोजन प्रपत्रो पर प्रदर्श डाला गया। तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष अभिकथित करते हुए मुकदमा झूठा चलाया जाना, बताया और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का क थन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सविस्तार सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया ।

अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में तीन साक्षी परीक्षित कराये हैं ।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा शीशपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि आज से करीब दो वर्ष पहले की बात है दिन के करीब 1.30 बजे राशन डीलर के चुनाव मे लिए लोग इकट्ठा हुए थे। चुनाव जूनियर हाईस्कूल देदूपुर में ही हो रहा था। वादी का लडका, कंवरपाल की तरफ से था तथा विपक्षी जगन सिंह पक्ष की ओर से अभियुक्तगण मौजूद थे। ज्ञानसिहं के कहने पर अन्य अभियुक्तगण जगन को चुनाव मे हारता देखकर उपरोक्त व्यक्तियों ने वादी के लडके पवन को गाली गलौज व मारपीट करने लगे तथा चुनाव में व्यवधान पैदा करने लगे। यह सभी लोग वादी के लडके को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। घटना की बाबत साक्षी ने दर्ज करायी तहरीर प्रदर्श क–1 स्वयं के हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। और दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 24.01.2018 को हाजिर अदालत मुलजिमान ने उसके पुत्र को एक राय होकर कोई गाली गलौज नही किया न जान से मारने की धमकी दी और न कोई मारपीट किया। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य मे ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो।

साक्षी पी.डब्लू.2 पवन ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण को पहचानता है, उसके गांव के हैं। अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई गाली गलौज, मारपीट नही की न जान से मारने की धमकी दी । राशन डीलर का चुनाव हेतु जूनियर हाईस्कूल मे चुनाव को लेकर कोई झगडा ,गाली गलौज नही की न दरोगाजी ने सासक्षी का कोई बयान लिया न कोई डाक्टरी करायी। दौरान जिरह साक्षी ने दरोगाजी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य मे ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथन को बल प्राप्त हो।

पी.डब्लू.3 जगन सिहं ने अपनी मुख्य परीक्षा मे सशपथ कथन किया कि आज से करीब साढे चार वर्ष पूर्व समय करीब डेढ बजे`जूनियर हाईस्कूल देदूपुर मे राशन डीलर हेतु चुनाव चल रहा थ्झा । दोनो पक्षो की ओर से काफी लोग मौजूद थे। कंवरपाल पक्ष और जगन पक्ष मे किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। हाजिर अदालत अभियुक्तगण ने पवन के साथ कोई मारपीट नही की न गालियां दी न जान से मारने की धमकी दी । दौरान जिरह साक्षी ने दरोगाजी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य मे ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथन को बल प्राप्त हो।

उल्लेखनीय है कि पी.डब्लू.1 वादी इस प्रकरण का व्यथित साक्षी नही है और इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य मे अभियोजन घटना का समर्थन करते हुए घटना के सम्बंध मे थाने पर दर्ज करायी तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया तथा दौरान जिरह साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने से इंकार किया। साक्षी स.2 पवन कुमार व पी.डब्लू.3 जगन ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा मे ही घटना का समर्थन नही किया और दौरान जिरह भी उसकी साक्ष्य मे ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो। इस प्रकार पी.डब्लू.2 पीडित/व्यथित साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे घटना का समर्थन नही किया और हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया है आगे जिरह मे भी ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथन को बल प्राप्त हो। अन्य साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक सिद्व नही होता है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.1 शीशपाल , पी.डबलू.2 पवन व पी.डब्लू.3 जगन ने न्यायालय मे उपस्थित होकर विरोधाभासी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन नही मिलता है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है उससे अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नही होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण सचिन, मन्तरपाल, राजेन्द्र,सूरज, संजय उर्फ कल्लू, पप्पू व ज्ञान सिहं के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए लगाये गये आरोप से दोष मुक्त किया जाना समीचीन है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सचिन, मन्तरपाल, राजेन्द्र,सूरज, संजय उर्फ कल्लू, पप्पू व ज्ञान सिहं को मु.अ.स. 64/2018, आरोप अंतर्गत धारा 147,323, 504, 506 भा.द.स.,थाना मवाना, जिला मेरठ के प्रकरण मे दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण इस प्रकरण मे जमानत पर है, उनके बंधपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त गण द्वारा अंतर्गत धारा 437 (ए) द.प्र.स. के अधीन रूपए बीस– बीस– हजार का

व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो –दो प्रतिभू दाखिल किया गया कि यदि इस निर्णय के विरूद्व कोई अपील दाखिल होती है तथा उन्हें तलब किया जाता है तो वे तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें। इस बंधपत्र की अवधि 06 माह के लिए वैध होगी।

दि0 16.08.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना,
मेरठ।
I.D. No.-UP3792

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं ,दिनांकित करके सुनाया गया।

दि0 16.08.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना,
मेरठ।
I.D. No.-UP3792

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.